

पत्रांक-2/एम 1-37/2004 उ०वि०-1916

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग ।
=====

25

प्रेषक,

श्री आदित्य नारायण सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ।

पटना, दिनांक-30 सितम्बर, 2004

विषय:-

मगध विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्ववित्तपोषी कार्यक्रम
के आधार पर सन्तोषाने वाले पाठ्यक्रमों के संबंध में
अनापति प्रमाण पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति के पत्र सं०-मी.सी./रे.सि./160, दिनांक-
27-5-2004 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने निम्ना-
ंकित पाठ्यक्रमों के लिए अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ प्रदान करने
की कृपा की है कि विधिवत कोर्स प्रारंभ करने के पूर्व विश्वविद्यालय नामांकित
किरक जानेवाले छात्रों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार से करा में:-

(A) Management Programme

1. Master of Business Administration (MBA)
2. Post Graduate Diploma in Human Resource Management.
3. Post Graduate Diploma in Marketing & Sales Management.
4. Post Graduate Diploma in Personnel Management and Industrial Relations.
5. Post Graduate Diploma in Financial Management
6. Post Graduate Diploma in Export Management.
7. Diploma in Tourism & Travel Management.

(B) Library Science

1. Bachelor of Library and Information Science (BLIS)
2. Master of Library and Information Science (MLIS)

(C) Education Science

1. Bachelor of Education (B.Ed.)
2. Master of Education (M.Ed.)

(D)

1. B.Sc. Communication
2. P.G. Diploma in Mass Communication & Journalism.

11 2 11

(E) Information Technology

- 1. Master in Computer Application (MCA)
- 2. Bachelor in computer Application (BCA)
- 3. Diploma in Computer Application (DCA)
- 4. Certificate in Computer Application (CCA)

(E) P.G. Diploma in Counseling and Rehabilitation.

(F) Institute of Rural Reconstruction and Development Management (IRRDM)

- 1. Master of Rural Reconstruction & Development Management.
- 2. साथ ही दूर शिक्षा निदेशालय की स्थापना एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्यापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा की है।

विश्वविद्यालय उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को विधिवत प्रारंभ करने के पूर्व बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-6(1)(2) के प्रावधानों के आलोक में उक्त पाठ्यक्रमों में ~~अवधि~~ ^{रासायनिक} होनेवाले छात्रों की अधिकतम संख्या का निर्धारण सरकार से करा लें। प्रस्ताव भेजते समय इसका आचित्य भी निश्चित रूप से दर्शाया जा जाय।

विश्वासभाजन

(Signature)
 || आचित्य नारायण सिंह ||
 सरकार के उप सचिव ।

राजेंद्र/ 28-9-04:

(Signature)
29/9/04